

राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर  
दूरभाष: 0141-2716402  
E-mail- sathinwe@gmail.com

क्रमांक-प-19(1)( )निमअ/साथिन बजट/2015/24746

जयपुर, दिनांक-16/8/19

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के विन्दु संख्या 257.0.0 (2019-20 Modified Budget) के क्रियान्विति के क्रम में साथिनों को देय मानदेय राशि 3300/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर राशि रुपये 3500/- प्रतिमाह (अक्षरे रुपये तीन हजार पांच सौ मात्र) दिनांक 01.08.2019 से करने की वित्त विभाग द्वारा आई.डी. संख्या -101903714 दिनांक 16.08.2019 से सहमति प्रदान की है।

अतः साथिन को मानदेय राशि रुपये 3500/- प्रतिमाह दिनांक 01.08.2019 से भुगतान करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(गायत्री शठौड़)  
शासन सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग  
जयपुर, दिनांक-16/8/19

क्रमांक- प-19(1)( )निमअ/साथिन बजट/2015/ 24747-897  
प्रतिलिपी: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग (कार्यक्रम क्रियान्वयन), राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सहायक, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सहायक, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
16. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
17. उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जिला-समस्त।
18. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जिला-समस्त।
19. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जिला-समस्त।
20. लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त निदेशक  
महिला अधिकारिता